आजादी का अमृत महोत्सव

दूरभाष 02982-230228 राजस्थान सरकार ईमेल secedubarmer@gmail.com

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

::—कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में गैर–अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रुप से चयनित, पात्र एंव अभिस्तावित अभ्यर्थियों को पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III के पद पर चयनित निम्न अभ्यर्थियों को श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–I/12102(202)/सी.भ./पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III/2021–2022 दिनांक 18–06–2023 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरुप इस कार्यालय द्वारा दिनांक 23–06–2023 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर पृष्ठांकित सूची में अंकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रुप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/– रुपयें प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार के पत्र कमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

सम्बंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेगें :–

1– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपार्ट एंव सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

2– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र सलंग्न निर्धारित प्रारुप में 50/– रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावें।

3– विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सबंधि प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ हैं तो तत्संबधी आशय का 50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त कर लिया जावें।

4– आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का एंव नहीं दिये जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावें।

5– कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।

6– कार्यग्रहण कराने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी का मूल, आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वहीं अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा हैं।

7– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एंव दस्तावेज सही हैं, शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य न होने, इनके मिथ्या, त्रृटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एंव उनके विरुद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वंतत्र होगा। तत्संबधी आशय का 50/– रुपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त कर लिया जावें।

8– आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एंव निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए एंव नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो।

9– अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एंव निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए। एंव नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता हैं, अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमिलेयर का नहीं हैं तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता हैं तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

98
23-06-2023

Scanned with OKEN Scanner

10– अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एंव पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस/लोटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता हैं तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

11– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ती भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

12– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन (ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेंगी।

13– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

14– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ–12(9)एफडी(रुल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

15– वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ–12(9)एफडी (रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

16– कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपन एंव गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबद्वता {Undertaking} निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

19– अभ्यर्थी विधवा होने की स्थिति में कार्यग्रहण तिथि तक पुनः विवाह नहीं किया हैं, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे, एंव परित्यकता की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिकी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लेवें।

20– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।

21– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक पं.7(13)कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2013 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एंव राष्ट्र की प्रभूता, अखण्ड़ता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवम् निष्पक्षता से किये जाने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **14–07–2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावें एंव शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

संलग्न :– (क्रस 01 से 13 तक की सुची)

(राजन कुमार शर्मा) 23/6/23
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर
दिनांक :–23.06.2023

कमांक :– जिशिअ/मु./माध्य/बाड़/संस्था–3/फा–9/पु.अ.–III/23/ 98

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ।

1– श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर।
2– श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
3– श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4– श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर मण्डल जोधपुर।
5– श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर।
6– जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बाड़मेर।
7– समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ———————————— जिला बाडमेर।
8– सबंधित पीईईओ/प्रधानाचार्य ————————————।
9– सबंधित श्री ————————————
10– रक्षक पत्रावली।
11– नोटिस बोर्ड।

23/6/23
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

क्रमांक :– जिशिअ/मु./माध्य/बाड़/संस्था–3/पु0अ0/23/ 98 दिनांक :–23.06.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में गैर–अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों के कांउन्सलिंग पश्चात पदस्थापन/नियुक्ति आदेश

Sr.n.	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CATE	H CATE	GENDER	SEL CATE	APPNO	विद्यालय का नाम	ब्लॉक	PHOTO
1	643122	687	MAGARAM KUMHAR	DURGARAM KUMHAR	10-Mar-92	OBC	MIMD	Male	OBC	202221828916	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAKHARA (220608) (08171107901)	GIDA	
2	640448	115	KOUSHLYA	GANGA RAM	20-Jan-98	OBC	–	Female	GEN	202222218866	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAITU BHIMJI (213589) (08170202801)	BAITU	
3	655557	110	PUKH RAJ	BHAIRA RAM	16-Feb-93	OBC	–	Male	GEN	202222024746	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MUNDHON KI DHANI (220629) (08170645801)	BARMER RURAL	
4	632215	335	NIRMLA YADAV	LEKH RAM YADAV	01-Aug-78	OBC	–	Female	OBC	202221699719	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUDI (220669) (08171300201)	KALYANPUR	
5	622687	11	TULCHHA RAM	TAJA RAM	04-Aug-91	OBC	–	Male	GEN	202222112927	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BERIWALA TALA (220824) (08170658601)	BARMER RURAL	
6	658649	91	NARESH CHANDRA	CHENA RAM	13-Oct-99	OBC	–	Male	GEN	202222183803	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KAPRAU (220990) (08170900801)	CHOHTAN	
7	637287	94	BAGATA RAM	KHETA RAM	30-Jun-94	OBC	–	Male	GEN	202222169214	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINGODIYA (220597) (08170211801)	BAITU	
8	645065	111	TRILOK CHAND	LIKAMA RAM	10-Oct-91	OBC	–	Male	GEN	202221902852	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HUDO KI DHANI (220582) (08170204501)	BAITU	
9	659303	143	BHANWAR LAL	CHUTRA RAM	15-May-99	OBC	–	Male	OBC	202222262524	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEHARO KI NADI (220964) (08170706201)	CHOHTAN	
10	640728	164	DINESH KUMAR	BABU LAL VISHNOI	09-Aug-98	OBC	–	Male	OBC	202221789543	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEHARON KI DHANI (220788) (08170507601)	PANYLA KLA	
11	626855	612	KANTI LAL	KRISHAN KUMAR	10-May-99	SC	–	Male	SC	202222252314	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNDAL (220757) (08170409201)	SIWANA	
12	628406	668	VIRENDRA SINGH MEENA	RATTIRAM MEENA	01-Aug-94	ST	–	Male	ST	202222251885	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAGARIA (220848) (08171505301)	RAMSAR	
13	639783	752	RAM RATAN SONKRIA	GYAN CHAND SONKRIA	01-Jun-84	SC	–	Male	SC	202222247874	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANDAP (220728) (08171605311)	SAMDARI	

23/6/23
(राजेन कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या0)
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner